समस्त थाना प्रभारी
एण्टी पावर थेफ्ट पुलिस थाना
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

विद्युत चोरी से सम्बंधित प्रकरणों में उ0प्र0पा0का0लि0 के अधिकारियों/प्रवर्तन दलों द्वारा ए0पी0टी0 थानों में एफ0आई0आर0 दर्ज कराये जाने के समय कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त होती है कि ए0पी0टी0 थानों के अधिकारी/विवेचकगण द्वारा पहले ही वादी को घटनास्थल पर चलने हेतु कहा जाता है, यह कदापि उचित नहीं है।

विवेचनात्मक प्रकिया, जिसमें निरीक्षण घटनास्थल, बयान वादी आदि शामिल है, थाने पर एफ0आई0आर0 दर्ज होने के पश्चात प्रारम्भ होती है। आप सभी को उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि सर्व प्रथम प्रकरण में एफ0आई0आर0 दर्ज करना सुनिश्चित किया जाये, तत्पश्चात विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए निरीक्षण घटनास्थल, बयान वादी आदि की कार्यवाही की जाये। अतएव समस्त थाना प्रभारी/विवेचकगण उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

कतिपय स्थानों से कुछ ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं कि एफ0आई0आर0 लिखाने गये विद्युत विभाग के अधिकारियों/प्रवर्तन दल अधिकारियों से थाना प्रभारी/विवेचकगण द्वारा एफ0आई0आर0 में विद्युत चोरी के दोषी उपभोक्ता के मोबाइल नम्बर को अनिवार्य रूप से लिखने को कहा जाता है। यह विवेचनात्मक कार्यवाही में सुविधाजनक एवं उचित है, किन्तु यह अनिवार्यता नहीं है कि बिना मोबाइल नम्बर के एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की जाएगी। भविष्य में दोषी उपभोक्ता के मोबाइल नम्बर की उपलब्धता न होने की स्थिति में एफ0आई0आर0 दर्ज करने से वादी को वापस नहीं किया जायेगा।

23/11/21

(कैप्टन एम0एम0 बेग)
पुलिस अधीक्षक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

Dir(P&A)/CE(Com), Lu.

174/MD/VIG/2021
25/XI/2021

संख्याः सीए/एसपी–यूपीपीसीएल/2021(विविध)
दिनांकः नवम्बर 23, 2021

23.11.21
(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0

प्रतिलिपिः
प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः
समस्त अपर पुलिस अधीक्षक डिस्काम/केस्को कानपुर तथा परिक्षेत्रीय पुलिस उपाधीक्षकगण (पा0का0लि0) को उपरोक्तानुसार अपने निकट पर्यवेक्षण में कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

SE (Raid)/CE(Com-1)